18 (8) जिन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक मामले लंबित अथवा विचाराधीन हैं, उनके द्वारा दिए गए त्याग पत्र को स्वीकार करना

मुझे ब्यूरो के तारीख 19.1.1983 के गुप्त अ.शा. पत्र संख्या 2(21)82 बी पी ई (जी एम–I) (उपर्युक्त क्रम संख्या 102 पर प्रति संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह सुझाव दिया गया था। इस आशय का समुचित खण्ड शामिल करने का प्रश्न कि कार्यपालकों द्वारा दिए गए त्याग–पत्र को नियुक्ति संबंधी शर्तों के अनुसार स्वीकार न करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित है को उचित निर्णय हेतु उद्यमों के निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जाए। इसके पीछे दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना था कि दोषी अधिकारी मात्र त्यागपत्र देकर बच न निकले।

अब ब्यूरो के ध्यान में यह लाया गया है कि सरकारी उद्यमों के कई मुख्य सतर्कता अधिकारियों को इन अनुदेशों की जानकारी नहीं है। इसलिए, यह अनुदेश समुचित कार्रवाई के लिए आपकी जानकारी में फिर से लाए जा रहे हैं।

(लोक उद्यम ब्यूरो का तारीख 16 अगस्त, 1989 का पत्र संख्या 15(5)/89–जीएम)